AMITY UNIVERSITY

MADHYA PRADESH

Established vide Government of Madhya Pradesh Act No. 27 of 2010

Ref. No. : AUMP/2017/RO/Policy/253 Date : 06/06/2017

Reservation Policy for Admission

Amity University Madhya Pradesh, Gwalior (A State-Private University), established vide the Act of Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Adhiniyam – 2007 and Dwitiya Adhiniyam (No. 27 of 2010) vide State Government Notification No. 7692-402 – **इक्कीस** – **अ** – (**प्रा**) dated 30 Dec 2010

As per the Sub-Para 12.1, 12.2 and 12.4 of Para 12 of the admission rules & guidelines of Department of Higher Education, Govt. of Madhya Pradesh, whereby reservation in admissions to the University for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Special Backward Classes, Women and Handicapped Persons shall be provided as per the policy of the State Government.

The University shall follows the reservation policy of the seats, as below, as prescribed by the State Government vide its order no. 742/251/CC/17-38 dated 30.05.2017 :

Category	Percentage
Scheduled Castes	16
Scheduled Tribes	20
Other Backward Classes	14
Divyangjan / Handicapped	03
General	47

In case of non-fulfillment of seats earmarked for the reserved category, the same will be filled as per the merit.

(Rajesh Jain)
Registrar

Maharajpura Gwalior
AMITY UNIVERSITY MADHYA PRADESH

Registrar
Amity University Madhya Pradesh
Gwalior

Amity University Madhya Pradesh, Maharajpura, Gwalior - 474005 MP (India)
Tel. : +91-751-2496025, 2496026, 2496027, **Mob. :** +91-8349994630, 8349994631, 8349994632
Website : www.amity.edu/gwalior | **E-mail :** info@gwa.amity.edu; admissions@gwa.amity.edu

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 30-5-17

क्रमांक 742/251/सीसी/17-अडतीस – माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरांत राज्य शासन द्वारा सत्र 2017–18 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत तथा अकादमिक कैलेण्डर जारी किये जाते हैं।

30/5/17
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव,
म0प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,

पृ. क्रमांक 743/251/सीसी/17-अडतीस भोपाल, दिनांक 30-5-17

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. अपर सचिव, मा.राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, भोपाल।
3. निज सहायक, मा.मंत्री जी /राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
6. कुलसचिव, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर/सागर।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
10. राज्य सूचना अधिकारी(एनआईसी) विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
11. प्रभारी, आई टी. सेल, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल। कृपया वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न - मार्गदर्शी सिद्धान्त (प्रवेश संबंधी)

30/5/17
अवर सचिव,
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

jan 2016

Registrar
Amity University Madhya Pradesh
Gwalior

10. **प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्ह परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र प्रतिशत के अंको के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।

10.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला–स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा। सी.एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

11. **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :**

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा –

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगें। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछडे वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातीयों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबंद्ध निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

Registrar
Amity University Madhya Pradesh

12.4 निःशक्तजन श्रेणी के आवेदकों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। निःशक्तजनों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

12.6 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होगें।

12.7 उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय, आयुक्त, कार्यालय उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यो, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

12.9 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेशः
अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल (www.mphighereducation.nic.in) पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा, एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थीयों की जानकारी विभाग के प्रवेश पोर्टल (www.epravesh.nic.in) पर उपलब्ध ऑनलाईन मॉड्यूल में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सारिणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।

12.10 आरक्षित स्थानें का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

12.11 कंडिका 2.5 अनुसार तृतीय चरण में पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेगें।

12.12 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित होः
पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।

Registrar
Amity University Madhya Pradesh
Gwalior

English Translation

Department of Higher Education
Government of Madhya Pradesh

Ref. No. 742/251/CC/ 17-38 **Date: 30.05.2017**

The Admission rules/guidelines and Academic Calendar for the session 2017-18 is issued after obtaining the approval of Hon'ble Chancellor for Undergarduate and Post Graduate Programmes offered in the Government/ Non Government colleges of Madhya Pradesh.

(Veeran Singh Bhalavi)
Under Secretary
Department of Higher Education
Govt. of Madhya Pradesh
Ministry of Higher Education

Page No. 743/251/CC/17-38 Bhopal, dated
30.05.2017

Copy to:

1. PA to Chief Secretary, Dept. of Higher Education, Govt. of Madhya Pradesh.
2. Under Secretary, Hon'ble Governor, Secretariat Raj Bhavan, Bhopal.
3. PA to Hon'ble Minister of Higher Education, Madhya Pradesh.
4. Commissioner, Higher Education, Satpuda Bhavan, Bhopal.
5. Chairman, Madhya Pradesh Private University Regulatory Commission, Bhopal.
6. Registrar, Bhopal/ Indore/ Gwalior/ Jabalpur/ Rewa/ Ujjain/ Chatarpur/ Sagar.
7. Registrar, All Private Universities, Madhya Pradesh.
8. All Regional Additional Director, Higher Education, Madhya Pradesh.
9. Principal, All Govt./Non Government Colleges, Madhya Pradesh.
10. State Information Officer (NIC), Vidhyanchal Bhawan, Bhopal.
11. In charge IT Cell, Office of Commissioner, Higher Education, Satpuda Bhavan, Bhopal.

Same is to be uploaded on the website of Dept. Higher Education, Govt. of Madhya Pradesh.

Encl: Principle guidelines (Admission)

Under Secretary
Department of Higher Education
Govt. of Madhya Pradesh
Ministry of Higher Education

Registrar
Amity University Madhya Pradesh
Gwalior

10. Determination of merit for admission:

10.1 If there are more applicants than available seats, admission will be done on the basis of merit. Merit will be calculated on the basis overall percentage of marks obtained in the qualifying examination after adding the weightage if awarded, for admission to UG and PG programmes.

10.2 Separate merit list will be prepared for the General and reserved category.

11. Admission Priority: If any candidate wants to take admission in other PG programmes in the same institute, from where he/she has been passed one PG programme than admission in the other PG programmes will be given only in the case of vacant seat and as per eligibility fulfilled by the candidate.

12. Reservation: Seats Reservation will be according to the Reservation Policy of Govt. of Madhya Pradesh as follows:

12.1 16% seats will be reserved for the Scheduled Caste (SC) category and 20% seats will be reserved for the Scheduled Tribes(ST) category from the sanctioned intake for each programmes. The seats reserved for these two categories will be interchangeable.

12.2 14% seats will be reserved for the OBC (except creamy layer) category applicants.

12.3 Sons/daughters of freedom fighters, son/daughters of soldiers martyred who have achieved gallantry while on duty in the Indian Army or Sons/daughters of permanently disabled servicemen and dependents of ex-servicemen (Defense Personnel) 03 percent seats will be reserved jointly for the children of the Central arm Police Force and for the disabled category applicants of these categories. By giving the weightage of 10 percent marks to the disabled category applicants related to this, the combined ranking of the 3 classes should be determined. But this reservation will be made available only from the seats reserved for the concerned cadre. The order of priority of Indian Armed Forces personnel/officers will be as follows:

1. Martyr's widow and their dependents during the war

2. Permanently disabled during war, serving soldiers and their dependents

3. Dependents of martyrs in service during peace

4. Persons permanently disabled in service during peace and their dependents

Registrar
Amity University Madhya Pradesh
Gwalior

5. Dependents of serving or ex-servicemen who have been awarded the following Gallantry Medals, Param Vir Chakra, Ashoka Chakra, Sarvottam Yudh Seva Medal, Army, Navy/Air Force mention in medal letters

6. dependents of ex-servicemen

7. dependents of serving soldiers

12.4 3% seats will be reserved for the disabled category applicants, but this reservation will be made available for the concerned cadre from the reserved seats allocated in the said category.

12.5 If the percentage of reserved seat is less than half, then reserved seat will not be available in the same category. The number of reserved seat will be considered as on only if it comes between half to one percent.

Registrar
Amity University Madhya Pradesh
Gwalior